



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 02 नाबालिग बच्चियों (बहनों) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को **20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये** के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **16.02.2026** को मा0 न्यायालय द्वारा 02 नाबालिग बच्चियों (बहनों) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में **01 आरोपी** को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 05.10.2022 को अभियुक्त ऋषिपाल सिंह पुत्र मखनलाल निवासी मौहल्ला पीरबाउद्दीन थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा 02 नाबालिग बच्चियों (बहनों) के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 874/2022 धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.10.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 16.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा **20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री धारा सिंह एवं पैरोकार म0का0 मधु व कोर्ट मोहरीरि है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

